नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्राप्ती 224-29 24.4.18	25.1.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील के रजापक्ष ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह आवेदन अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बापोर शामली पटवार हल्का चैनपुर (करिया) तह० करौली की पत्थरगढ़ी सीमांकन कराने को प्रस्तुत किया है। जिसका पूर्व मे दि० 7.7.17 को पटवारी हल्का चैनपुर व गिरदावर हल्का मचोली द्वारा सीमाज्ञान उभयपक्षकारान के समक्ष कराया जा चुका है और सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर सीमा चिन्ह गाड दिये इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने दि० 8.7.17 को शाम 6 बजे उक्त सीमा चिन्हो के पत्थर को उखाडकर फेंक दिया प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सीमा चिन्हो को नही निकालने को कहा तो अप्रार्थीगण आमादा फिसाद हो गये और उन्होने सीमा विवाद पैदा कर दिया और अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को लठ्ठ के बल पर दबाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख० नं० 15,19, 20 लगी हुई है इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमांकन पत्थरगढी कराना चाहता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी का कथन है कि भूमि की मौके पर डोल मेड हो रही है। प्रार्थी का ख० नं० 15 पर कब्जा काश्त नही है और प्रार्थी सीमा	
निशान किशोर नि० अंगूठा नि० [illegible] 10/5/2018			

उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह आवेदन अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम धायेर आलम्पी पटवार हल्का चैनपुर (बरिया) तह० करौली की पत्थरगढ़ी सीमांकन कराने को प्रस्तुत किया है। जिसका पूर्व मे दि. 7.7.17 को पटवारी हल्का चैनपुर व गिरदावर हल्का मण्डेली द्वारा सीमाज्ञान उभय पक्षकारान के समक्ष कराया जा चुका है। और सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर सीमा चिन्ह गाड दिये इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने दि० 8.7.17 को शाम 6 बजे उक्त सीमा चिन्हो के पत्थर को उखाडकर फेंक दिया प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सीमा चिन्हो को नही निकाले की कहा तो अप्रार्थीगण आमादा फिसाद हो गये और उन्होने सीमा विवाद पैदा कर दिया और अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को लठ्ठ के बल पर दाबना चाहते है। प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख० नं० 15, 19, 20 लगी हुई है इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमांकन पत्थरगढी कराना चाहता है। और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी का कथन है कि भूमि की मौके पर डोल मेड हो रही है। प्रार्थी का ख० नं० 15 पर कब्जा काश्त नही है। और प्रार्थी सीमाज्ञान की आड मे भूमि पर कब्जा करना चाहता है। सीमा चिन्ह पूर्व से ही विद्यमान है। और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व सीमाज्ञान रिपोर्ट मौका दि० 7/7/17 के अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रार्थी
24-4-18

नि० ...
नि० ...
नि० ...
10/5/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य ख०नं० 16 के बावत सीमा विवाद विद्यमान है। जिसका सीमाज्ञान दि० 7/7/17 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा किया जा चुका है। जिससे अप्रार्थी प्रसन्न नहीं है। इसलिए उक्त आराजी खं० नं० 16 की पत्थरगढ़ी सीमांकन कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी खं० नं० 16 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा ग्राम पांचेर आराजी पटवार हल्का चैनपुर (बरिया) तह० करौली की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। तहसीलदार करौली को 500/- पाँच सौ रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त आराजी का उभय पक्ष की उपस्थिति में सीमांकन पत्थरगढ़ी करावे फीस कमिश्नर प्रार्थी अदा करेगा। तहसीलदार करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	जारी 542 14-3-19 जारी S.D.R. 647 कामूल पत्र बीघा 20-5-19